

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 मई 2010—वैशाख 22, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2010

क्र. एफ. ए-3-20-2009-1-पांच-(58).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उसे उस निमित्त सामर्थ्यकारी बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 8 में, उपनियम (4) का लोप किया जाए;
- (2) नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“8-क विवरणी का इलेक्ट्रॉनिक रीति में फाइल किया जाना.

- (1) प्ररूप सात में विवरणी निम्नलिखित रीति में से किसी भी एक रीति में प्रस्तुत की जा सकेगी, अर्थात्:—

(एक) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रीति में विवरणी प्रस्तुत किया जाना;

(दो) डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रीति में विवरणी के आंकड़ों को भेजना और तत्पश्चात् प्ररूप सात-ड में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत किया जाना.

- (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि ऐसी तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में, तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के वर्ग द्वारा जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विवरणी, हार्ड कापी के साथ या उसके बिना, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीतियों में से किसी रीति में प्रस्तुत की जाएगी."
- (3) नियम 8 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी के संबंध में लागू होंगे."
- (3) प्ररूप सात के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“प्ररूप—सात

किसी व्यापारी द्वारा देय प्रवेश कर की विवरणी

[नियम 4 (2) (एक) और 8 देखिए]

(मूल/पुनरीक्षित)

वित्त वर्ष का वर्ष/त्रैमास/मास

विवरणी की कालावधि	तारीख	मास	वर्ष	से	तारीख	मास	वर्ष	तक
----------------------	-------	-----	------	----	-------	-----	------	----

व्यापारी का नाम
व्यापारी का पता
टिन

भाग—1 कुल क्रय/बाजार मूल्य

1. माल का कुल क्रय मूल्य (व्यय सहित)
2. क्रय से भिन्न तरीके से अर्जित किये गए या अभिप्राप्त किए गए माल का कुल बाजार मूल्य
3. कुल (1+2)

भाग—2 कटौतियां

1. स्थानीय माल का क्रय/बाजार मूल्य.
2. अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल का क्रय/बाजार मूल्य.
3. धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से छूट प्राप्त माल का क्रय/बाजार मूल्य.
4. स्थानीय माल को छोड़कर अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट माल जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों से क्रय किया गया तथा जिस पर प्रवेश कर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा चुकाया गया या देय हो.
5. स्थानीय माल से भिन्न अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट माल तथा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किए गए माल के क्रय मूल्य/बाजार तथा जिस पर रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रवेश कर का भुगतान कर दिया गया है या भुगतान देय है, जो कि स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात्,—

- (एक) राज्य के बाहर विक्रीत किया गया हो;
- (दो) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रीत किया गया हो;
- (तीन) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रीत किया गया हो.

6. पुनः विक्रय हेतु प्रवेश कराए गए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट माल का क्रय/बाजार मूल्य.
7. उपभोग या उपयोग हेतु प्रवेश कराए गए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट माल, किन्तु जिसका अन्य प्रकार से व्ययन किया गया हो, का क्रय/बाजार मूल्य.
8. माल का क्रय/बाजार मूल्य जिस पर धारा 4-क के अधीन कर देय हो.
9. अन्य कोई कटौती (कृपया विनिर्दिष्ट करें).
10. योग—(1 से 9)
कर योग्य मात्रा जिस पर प्रवेश कर देय है (भाग 2 का भाग 1 से 10 का 3).

भाग—3 कर योग्य मात्रा का विभाजन

अनुक्रमांक	माल का विवरण/कोड	कर योग्य मात्रा	कर की दर	कर की रकम
	कुल . . .			

भाग—4 धारा-4 क के अधीन देय प्रवेश कर

अनुक्रमांक	माल का विवरण	कर योग्य मात्रा	कर की दर	कर की रकम
1	माल का क्रय/बाजार मूल्य जिस पर उपधारा (1) के अधीन कर देय है.			
2**	माल का क्रय मूल्य जिस पर उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन कर देय है			
3	धारा 4 के अधीन कर योग्य माल का मूल्य क (1+2).			

** धारा 4-क के अधीन अधिसूचित दर एवं क्रय करते समय धारा 3 के अधीन जिस दर से कर चुकाया गया है, का अंतर इस कर योग्य मात्रा पर कर की दर होगा.

भाग—पांच धारा 7-क के अधीन प्रशमन का विकल्प लेने वाले निर्माता द्वारा देय प्रशमन धन

1. स्थानीय माल का सकल आवर्त (टर्न ओवर)
2. घटाइए—
(एक) राज्य के बाहर विक्रय.
(दो) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय.
(तीन) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय.

2 का योग—

3. मध्यप्रदेश के भीतर विक्रय (1—2).
4. विक्रय जो उस स्थानीय क्षेत्र में हुए हों, जिसके संबंध में ऐसा माल स्थानीय माल है.
5. स्थानीय माल की विक्रय राशि, जिसके संबंध में प्रशमन धन देय है (3-4).
6. देय प्रशमन धन.

भाग—6 मुजराई

माल का क्रय मूल्य जिस पर पूर्ण दर से कर चुकाया गया है	दर जिससे कर चुकाया गया है	दर जिससे कर देय है	अंतर की दर जिससे मुजराई का दावा किया गया है (2-3)	मुजराई की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कुल				

भाग—7 देय कर

1. देय कर (भाग-3).
2. धारा 4-क के अधीन देय कर (भाग-4 का 3).
3. देय प्रशमन धन (भा-5 का 6).
4. कुल देय रकम (1+2+3).
5. मुजराई की रकम (भाग-6)
6. शेष देय रकम (4-5)
7. विलंबित भुगतान हेतु ब्याज (यदि कोई हो).
8. सकल देय रकम (6+7).
9. चालान से जमा की गई रकम.
10. वापसी समायोजन आदेश (यदि कोई हो).
11. कुल जमा (9+10).
12. शेष देय रकम (यदि कोई हो) (8—11).
13. अधिक जमा (यदि कोई हो) (11—8).

भुगतान के ब्यौरे

बैंक का नाम	शाखा	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	कालावधि	रकम
कुल					

वापसी समायोजन आदेश (स्वयं का)

वापसी समायोजन आदेश क्रमांक	वापसी समायोजन आदेश दिनांक	रकम	चालान क्रमांक एवं दिनांक (यदि कोई हो)
----------------------------	---------------------------	-----	--

वापसी समायोजन आदेश (अन्य व्यापारी से प्राप्त)

व्यापारी का नाम	टिन	वापसी समायोजन आदेश क्रमांक	वापसी समायोजन आदेश दिनांक	रकम
-----------------	-----	----------------------------	---------------------------	-----

घोषणा

मैं (नाम) उपरोक्त व्यावसायिक फर्म के की हैसियत से एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि,—

- (एक) उपरोक्तानुसार इस विवरणी में दी गयी जानकारीयां तथा विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही हैं;
- (दो) दावा की गई गैर करयोग्य क्रय, विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जारी बिल/बीजक/नकदी ज्ञापन (कैश मेमोरेण्डम) द्वारा समर्थित है.

स्थान

दिनांक

व्यापारी के हस्ताक्षर

टिप्पण : विवरणी मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) में विहित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी.

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

वित्त वर्ष के मास/तिमाही/वर्ष की विवरणी

प्रस्तुत दिनांक / /
विलम्ब (यदि कोई हो) (दिनों में)

प्राप्तकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी-आईडी)

विवरणी दिनांक को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में
प्रविष्टि की गई

डाटा एन्ट्री कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी-आईडी)

अभिस्वीकृति

विवरणी प्राप्ति क्रमांक तारीख
वित्त वर्ष टिन
की
तिमाही/माह/वर्ष

व्यापारी का नाम तथा पता
(सील लगाए)
वृत्त कार्यालय

प्राप्तकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी-आईडी)

(4) प्ररूप सात-घ के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप—सात—ड
(नियम 8-क देखिए)

विवरणी सत्यापन प्ररूप

(मूल/पुनरीक्षित)

वित्तीय वर्ष की	वार्षिक/ तिमाही/ मासिक/	टिन	2	3
विवरणी कालावधि हेतु व्यापारी का नाम तथा पता (सील लगाए)	तारीख मास	वर्ष	से तारीख	मास वर्ष तक

ई—प्रस्तुतीकरण
अभिस्वीकृति क्रमांक

तारीख मास वर्ष

1. कुल क्रय/बाजार मूल्य
2. कटौतियां.
3. करयोग्य मात्रा जिस पर प्रवेश कर देय है
(1—2)
4. देय प्रवेशकर.
5. धारा 4-क के अधीन करयोग्य माल का कुल मूल्य.
6. धारा 4-क के अधीन देय प्रवेशकर.
7. धारा 7-क के अधीन प्रशमन का विकल्प लेने वाले निर्माता द्वारा देय प्रशमन धन.
8. विलंबित भुगतान पर ब्याज (यदि कोई हो).
9. कुल देय रकम (4+6+7+8).
10. मुजराई की रकम.
11. चालान से जमा.
12. वापसी समायोजन आदेश (यदि कोई हो).
13. कुल जमा (10+11+12).
14. शेष देय रकम (यदि कोई हो) (9—13).
15. अधिक जमा (यदि कोई हो) (13—9).

घोषणा

मैं (नाम) उपरोक्त व्यवसाय फर्म का होते हुए एतद्वारा, घोषणा करता हूँ कि विवरणी, जो उपरोक्त वर्णित अभिस्वीकृति क्रमांक अनुसार मेरे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी गई है, मैं दी गई जानकारी एवं विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है.

स्थान

तारीख

व्यापारी के हस्ताक्षर

टिप्पण : यह प्ररूप मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) में यथा विहित किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

वित्तीय वर्ष की मास/

तिमाही/वर्ष के लिये विवरणी
सत्यापन प्ररूप

तारीख को प्रस्तुत

प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी आई.डी.)

एप्लीकेशन साफ्टवेअर में प्रविष्टि
की तारीख / /

डाटा एन्ट्री करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी आई.डी.)

अभिस्वीकृति

विवरणी सत्यापन प्ररूप प्राप्ति क्रमांक तारीख

वित्त वर्ष मासिक/
.....की तिमाही/
वार्षिक

दिन 2 3

व्यापारी का नाम तथा पता
(सील लगाएं)

वृत्त कार्यालय

प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी का आई.डी.)"

(5) प्ररूप दस के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप—दस
कर-निर्धारण और/या शास्ति का आदेश
(नियम 10 देखिए)

प्रकरण क्रमांक
कर-निर्धारण की कालावधि
व्यापारी का नाम और पता

दिन 2 3

कर-निर्धारण अधिकारी का नाम और

पदनाम

कार्यालय

आदेश दिनांक

उपधारा सहित धारा जिसके अधीन कर
निर्धारण किया गया है, और/या शास्ति
अधिरोपित की गई है.

विवरण	विवरणी के अनुसार	संगणना के अनुसार	अवधारित किए अनुसार
1.	(एक) माल का कुल क्रय मूल्य (व्यय सहित)		
	(दो) क्रय से भिन्न तरीके से अर्जित किए गए या अभिप्राप्त किए गये माल का बाजार मूल्य		

1 का योग

2. कटौती कीजिए—

- (1) स्थानीय माल का क्रय/बाजार मूल्य.
- (2) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल का क्रय/बाजार मूल्य.
- (3) धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से छूट प्राप्त माल का क्रय/बाजार मूल्य.
- (4) स्थानीय माल को छोड़कर अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट माल जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों से क्रय किया गया तथा जिस पर प्रवेश कर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा चुकाया गया/देय हो.
- (5) स्थानीय माल से भिन्न अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट माल तथा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किए गए माल के क्रय/बाजार मूल्य तथा जिस पर रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यापारी द्वारा प्रवेश कर का भुगतान कर दिया गया है या भुगतान देय है जो कि स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात् :—
 - (एक) राज्य के बाहर विक्रय किया गया हो.
 - (दो) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय किया गया हो.
 - (तीन) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया गया हो.
- (6) पुनः विक्रय हेतु प्रवेश कराये गये अनुसूची 3 के माल का क्रय/बाजार मूल्य.
- (7) उपभोग या उपयोग हेतु प्रवेश कराये गये अनुसूची 3 के माल जिसका अन्य प्रकार से व्ययन किया गया हो, का क्रय/बाजार मूल्य.
- (8) माल का क्रय/बाजार मूल्य जिस पर धारा 4-क के अधीन कर देय हो.
- (9) अन्य कोई कटौती (कृपया विनिर्दिष्ट करें).

2 का योग

3. कर योग्य मात्रा जिस पर प्रवेश कर देय है (1-2)
4. कर योग्य मात्रा का वर्गीकरण
(लागू दर दर्शाए)
(एक) पूर्ण दर
(दो) रियायती दर—
(क) धारा 4(1) के अधीन
(ख) धारा 10 के अधीन

4 का योग

- | | | | | |
|----|--|----------|----------------|----|
| 5. | यथा अवधारित देय प्रवेश कर
(एक) पूर्ण दर
(दो) रियायती दर—

(क) धारा 4(1) के अधीन
(ख) धारा 10 के अधीन | कर की दर | करयोग्य मात्रा | कर |
|----|--|----------|----------------|----|

5 का योग

- | | | | | |
|----|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 6. | धारा 4-क के अधीन
(एक) कर योग्य मात्रा

(क) माल का क्रय/बाजार मूल्य जिस पर उपधारा
(1) के अधीन कर देय है.
(ख) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन माल का
क्रय/बाजार मूल्य जिस पर कर देय है. | विवरणी के
अनुसार | गणना के
अनुसार | अवधारित किए
अनुसार |
|----|---|---------------------|-------------------|-----------------------|

(एक) का योग

- | | | | |
|--|----------|--------------------|----|
| (दो) अवधारित किये अनुसार देय प्रवेश कर | कर की दर | कर योग्य
मात्रा | कर |
|--|----------|--------------------|----|
- (क) माल का क्रय/बाजार मूल्य जिस पर उपधारा
(1) के अधीन कर देय है.
* पर उपधारा (1) के परन्तुक के
(ख) अधीन माल का क्रय मूल्य जिस पर कर
देय है.

(दो) का योग

* धारा 4-क के अधीन अधिसूचित दर एवं क्रय करते समय धारा 3 के अधीन जिस दर से कर चुकाया गया है, का अंतर इस कर योग्य मात्रा पर कर की दर होगा.

7. कुल देय प्रवेश कर [5+6 का (ख)]

8. **मुजराई**
- (एक) धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन
(दो) धारा 10 के अधीन
- 8 का योग
9. देय प्रवेश कर की रकम (7-8)
10. अधिरोपित किया गया ब्याज/शास्ति
- (एक) धारा के अधीन
(दो) धारा के अधीन
(तीन) धारा के अधीन
(चार) धारा के अधीन
(पांच) नियम के अधीन
- 10 का योग
11. देय रकम (9+10)
12. **कटौती—**
(एक) वापसी समायोजन आदेश (यदि कोई हो)
(दो) भुगतान की गई रकम
- 12 का योग
13. शेष देय/वापसी योग्य रकम

परिशिष्ट-एक

धारा-7क के अधीन प्रशमन का विकल्प लेने वाले निर्माता द्वारा देय प्रशमन धन

1. स्थानीय माल का टर्न ओवर
2. कटौतियां—
(एक) राज्य के बाहर विक्रय
(दो) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय
(तीन) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय

2 का योग

3. मध्यप्रदेश के भीतर विक्रय (1-2)
4. विक्रय जो उस स्थानीय क्षेत्र में हुए हों, जिसके संबंध में ऐसा माल स्थानीय माल है.
5. स्थानीय माल का विक्रय रकम जिसके संबंध में प्रशमन धन देय है (3-4)
6. देय प्रशमन धन.
7. भुगतान किया गया प्रशमन धन.
8. शेष देय प्रशमन धन (यदि कोई हो).

भुगतान का विवरण :

चालान क्रमांक

चालान दिनांक

रकम

कुल

कर निर्धारण और/या शास्ति का आदेश संलग्न है.

मुद्रा

दिनांक

हस्ताक्षर

पदनाम. ”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2010

क्र. एफ. ए-3-20-2009-1-पांच-(58).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ. ए-3-20-2009-1-पांच-(58), भोपाल, दिनांक 12 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th May 2010

No. F. A-3-20-09-1-V-(58).—In exercise of the powers conferred by Section 20 and all other powers enabling it in that behalf of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, namely :—

AMENDMENTS

In the Said rules,—

- (1) In rule 8, sub-rule(4) shall be omitted;
- (2) After rule 8, the following rule shall be inserted, namely :—

“8-A Electronic filing of return.

- (1) The return in form VII may be furnished in any of the following manners, namely :—
 - (i) furnishing the return electronically under digital signature;
 - (ii) transmitting the date in the return electronically without digital signature and thereafter submitting the verification of the return in Form VII-E.
- (2) The State Government may, by notification, provide that the return, with or without a hard copy as may be specified in the notification, in respect of the periods starting on or after such date and by such registered dealer or class of registered dealers as may be specified in the said notification, shall be furnished in any of the manners specified in sub-rule(1) through the official web portal of the department (www.cmptax.net / www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.
- (3) The Provisions of rule 8 shall mutatis mutandis apply to such return.”.

- (3) For Form VII, the following Form shall be substituted, namely :—

“FORM-VII

RETURN OF ENTRY TAX PAYABLE BY A DEALER

[See rule 4(2)(i) and 8]

(Original / Revised)

Year/Quarter/month of F.Y. DD MM YYYY To DD MM YYYY

Return For the period

Name of the dealer

Address of the dealer

TIN

PART-1 Total purchase/market value:

1. Total purchase value of goods (including expenses)
2. Total market value of goods acquired or obtained otherwise than by way of purchase
3. Total (1+2)

PART-2 Deductions :

1. Purchases/market value of local goods.
 2. Purchase/market value of goods specified in Schedule I
 3. Purchase/market value of goods exempted from entry tax under Section 10.
 4. Purchase value of goods specified in Schedule-II, other than local goods, purchased from a registered dealer on which entry tax is paid or payable by the selling registered dealer.
 5. Purchase/market value of goods specified in Schedule-II, other than local goods and the goods purchased from a registered dealer on which entry tax is paid or payable by the selling registered dealer, which after entry into a local area:—
 - (i) are sold outside the State.
 - (ii) are sold in the course of inter-State trade or commerce
 - (iii) are sold in the course of export out of territory of India.
 6. Purchase/market value of goods specified in Schedule-III entered for resale.
 7. Purchase/market value of goods specified in Schedule-III entered for consumption or use but disposed of in any other manner.
 8. Purchase/market value of goods on which tax is payable under Section 4-A.
 9. any other deduction (please specify).
 10. Total (1 to 9)
- Taxable quantum on which entry tax is payable
(3 of part 1-10 of part 2).

PART-3 Breakup of taxable quantum:

S.No.	Description of goods/code	Taxable quantum	Rate fo tax	Tax
	Total			

PART-4 Entry Tax payable u/s 4-A

S.No.	Description	Taxable quantum	Rate of tax	Tax
1	purchase/market value of goods on which tax is payable under sub-section (1).			
2**	purchase value of goods on which tax is payable under proviso to sub-section(1).			
3	Total value of goods taxable u/s 4-A (1+2).			

**Rate of tax for this taxable quantum shall be the difference of rate notified under section 4-A and the rate at which tax is paid under Section 3 at the time of purchase.

PART-5 Composition money payable by manufacturer opting for composition under Section 7-A.

1. Gross turnover of local goods.
2. Deduct—
 - (i) Sales outside the State.
 - (ii) Sales in the course of interstate trade or commerce.
 - (iii) Sales in the course of export out of territory of India.
 - Total of 2
3. Sales within Madhya Pradesh (1-2).
4. Sales likely to have taken place in the same local area in respect of which goods are local goods.
5. Sale price of local goods in respect of which composition money is payable (3-4).
6. Composition money payable.

PART-6 Set off :

Purchase value of goods on which tax is paid at full rate (1)	Rate at which tax is paid (2)	Rate at which tax is payable (3)	Difference of rate claimed as set off (2-3) (4)	Amount of setoff (5)
Total . .				

PART-7 Tax payable :

1. Tax payable (part-3).
2. Tax payable u/s 4-A (3 of Part 4).
3. Composition money payable (6 of Part-5)
4. Total amount payable (1+2+3).
5. Amount of setoff (Part-6).
6. Balance amount payable (4-5).
7. Interest for late payment (if any).
8. Total amount Payable (6+7).
9. Deposited by challans.

10. Refund Adjustment Order (if any).
11. Total credit (9+10).
12. Balance payable (if any) (8-11).
13. Excess credit (if any) (11-8).

Payment Detail :

Name of Bank	Branch	Challan No.	Challan Date	Period	Amount
					Total . .

Refund Adjustment Order (self) :

Refund Adjustment Order No.	Refund Adjustment Order Date	Amount	Challan No. & date (if any)
-----------------------------	------------------------------	--------	-----------------------------

Refund Adjustment Order (received from other dealer) :

Name of dealer	TIN	Refund Adjustment Order No.	Refund Adjustment Order Date	Amount
----------------	-----	-----------------------------	------------------------------	--------

Declaration

I (Name) being of the above business firm do hereby declare that,—

- (i) the information and particulars given above in this return are true and correct to the best of my knowledge and belief;
- (ii) the purchases claimed to be non taxable is supported by bills/invoices/cash memos issued by the selling registered dealers.

Place
Date :

Signature of the dealer

Note.—The return shall be signed by a person prescribed in sub-rule (1) of rule 11 of Madhya Pradesh Vat Rules, 2006.

For Office Use only

Return for the month/quarter/year of F. Y.

Signature of Receiving Official
(Employee ID)

Submitted on / /
Delay (if any) (in days)

Signature of Data Entry Official
(Employee ID)

Return entered into application software on :

Signature of Data Entry Official
(Employee ID)

ACKNOWLEDGEMENT

Return Receipt Number :

Date: / /

Quarter/ of F.Y. TIN 2 3
month/yearName of the Dealer and address
(Affix Seal)
Circle OfficeSignature of Receiving Official
(Employee ID:

(4) After Form VII-D, the following Form shall be inserted, namely :—

"Form-VII-E
(See rule 8-A)
Return Verification Form

Year/Quarter/month	of	TIN	2	3	(Original/Revised)		
	F.Y.						
Return For the period	DD	MM	YYYY	To	DD	MM	YYYY
Name and address of the Dealer (Affix Seal)							
E-filing Acknowledgement Number	Date	DD	MM	YYYY			

1. Total purchase/market value.
2. Deductions.
3. Taxable quantum on which entry tax is payable
(1-2).
4. Entry tax payable.
5. Total value of goods taxable u/s 4-A.
6. Entry tax payable u/s 4-A.
7. Composition money payable by manufacturer opting for
composition under Section 7-A.
8. Interest for late payment (if any).
9. Total amount payable(4+6+7+8).
10. Amount of setoff.
11. Deposited by challans.
12. Refund Adjustment Order (if any).
13. Total Credits (10+11+12).
14. Balance payable (if any) (9-13).
15. Excess credit (if any) (13-9).

Declaration

I(Name) being
of the above business firm do hereby declare that the information and particulars given in the return which has been transmitted electronically by me *vide* acknowledgement number mentioned above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place

Signature of the dealer

Date :

Note.—This Form shall be signed by any such person as prescribed in sub-rule (1) of rule 11 of Madhya Pradesh Vat Rules, 2006.

For Office Use only

Return verification Form for the Year/quarter/
month of F.Y.

Signature of Receiving

Submitted on : / /

Official

(Employee ID:)

Entered into application
software on: / /

Signature of Data Entry Official
(Employee ID:)

ACKNOWLEDGMENT

Return Verification Form Receipt Number :

Date: / /

Year/quarter/
month. of F.Y. TIN 2 3

Name of the Dealer and address
(Affix Seal)
Circle Office

Signature of Receiving Official
(Employee ID:)"

(5) For Form X, the following Form Shall be substituted, namely :—

**“Form-X
Order of Assessment and/or penalty
(See rule 10)**

Case Number

Period of assessment

Name and Address of Dealer

TIN 2 3

Name of Assessing officer and designation

Office

Date of Order

Section with sub-section under
which assessment made and/or
penalty imposed

Description	As returned	As computed	As determined
1. (i) Total purchase value of goods (including expenses).			
(ii) Total Market value of goods acquired or obtained otherwise than by way of purchase.			
Total of 1			
2. Deduct—			
(1) Purchase/market value of local goods.			
(2) Purchase/market value of goods specified in Schedule-I.			
(3) Purchase/market value of goods exempted from entry tax under Section 10.			
(4) Purchase value of goods specified in Schedule-II, other than local goods, Purchased from a registered dealer on which tax is paid or payable by the selling registered dealer.			
(5) Purchase/market value of goods specified in Schedule-II, other than local goods and the goods purchased from a registered dealer on which entry tax is paid or payable by the selling registered dealer which after entry into a local area,—			
(i) are sold outside the State			
(ii) are sold in the course of inter-State trade or commerce.			
(iii) are sold in the course of export out of territory of India.			
(6) Purchase/market value of goods in specified in Schedule-III, entered for resale.			
(7) Purchase/market value of goods specified in Schedule-III-entered for consumption or use but disposed of in any other manner.			
(8) Purchase/market value of goods on which tax is payable under Section 4-A.			
(9) any oter deduction (please specify).			
Total of 2			

3. **Taxable quantum on which entry tax is payable (1-2)**4. Classification on taxable quantum-
(indicate the rate applicable)

- (i) Full rate
- (ii) Concessional rate—
 - (a) under Section 4 (1)
 - (b) under Section 10

Total of 45. **Entry tax payable as determined—****Rate of tax Taxable quantum tax**

- (i) Full rate
- (ii) Concessional rate—
 - (a) under Section 4 (1)
 - (b) under Section 10

Total of 56. **Under Section 4-A-**(i) **Taxable quantum****As As As**
returned computed determined

- (a) Purchase/market value of goods on which tax is payable under Sub-Section (1).
- (b) Purchase value of goods on which tax is payable under proviso to sub-section (1).

Total of (i)(ii) **Entry tax payable as determined****Rate of tax Taxable Tax**
quantum

- (a) Purchase/market value of goods on which tax is payable under sub-section (1).
- * Purchase value of goods on which tax is payable under provision to sub-section (1).

Total of (ii)

* Rate of tax for this taxable quantum shall be the difference of rate notified under Section 4-A and the rate at which tax is paid under Section 3 at the time of purchase.

7. **Total entry tax payable [5+(b) of 6]**8. **Set off—**

- (i) under second proviso to sub-section (1) of Section 4
- (ii) under Section 10

Total of (8)

9. Amount of entry tax payable (7-8)

10. Interest/penalty imposed—

- (i) under section
- (ii) under section
- (iii) under section
- (iv) under section
- (v) under rule

Total of 10. . .

11. Amount payable (9+10)

12. Deduct—

- (i) Refund Adjustment Order (if any)
- (ii) Amount paid.

Total of 12. . .

13. Balance amount payable/refundable

ANNEXURE-I

Composition money payable by manufacturer opting for composition
under section 7-A

1. Gross turnover of local goods.

2. Deduct—

- (i) Sales outside the State
- (ii) Sales in the course of interstate or commerce
- (iii) Sales in the course of export out of territory of India.

Total of 2. . .

3. Sales within Madhya Pradesh (1-2).

4. Sales likely to have taken place in the same local area in respect of which goods are local goods.

5. Sale price of local goods in respect of which composition money is payable (3-4).

6. Composition money payable.

7. Composition money paid.

8. Balance of Composition money (if any).

Payment Details :

Challan Number

Challan Date

Amount

Order of Assessment and/penalty is attached.

Seal

Total

Date

Singnature
Designation".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.